Doc No. CD-319/80

RASHTRAPATI BHAVAN,
NEW DELHI.

7 May, 1980
17 Vaisakha, 1902(S).

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause(3) of the article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India(Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1 (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and forty second Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India(Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules), in the First Schedule, for entry 4, the following entry shall be substituted, namely:-

"4. Ministry of Defence(Raksha Mantralaya):

[With a Department of Defence Production(Raksha Utpadam Vibhag), a Department of Defence Supplies(Raksha Poorti Vibhag) and a Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan tatha Vikas Vibhag) within the Ministry(Mantralaya)]".;

3. In the said rules, in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF DEFENCE(RAKSHA MANTRALAYA)", -

(i) under the sub-heading "DEPARTMENT OF DRFENCE PRODUCTION (RAKSHA UTPADAN VIBHAG)", entry 19. shall be omitted, and the existing entry 19A. shall be re-numbered as entry 19.";

(ii) under the sub-heading "DEPARTMENT OF DEFENCE SUPPLIES (RAKSHA POORTI VIBHAG)", entry 23. shall be omitted, and the existing entry 24. shall be re-numbered as entry 23.";

(iii) after the sub-heading "DEPARTMENT OF DEFENCE SUPPLIES (RAKSHA POORTI VIBHAG)", and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:-

"DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT (RAKSHA ANUSANDHAN TATHA VIKAS VIBHAG)

24. Rendering advice to Raksha Mantri and to the three services and inter services organisations on all scientific aspects of Military operations, equipment and logistics.

...2/-

GBS
1000 Copies.

25. Formulation of Research, Design and Development Plans on -

(a) Armaments
(b) Explosives
(c) Electronics
(d) Engineering
(e) Rockets and Missiles
(f) Vehicles
(g) Aeronautics
(h) Naval Oceanography items
(i) Fire Research
(j) Other Machinery and Equipments used by the three services

26. Administration of the Defence Research and Development Organisation including the various Laboratories and Establishments in the Organisation.

27. Administration of the Defence Research and Development Service Rules, 1978 and other Service Rules pertaining to the Defence Research and Development Organisation(DRDO.

28. Defence Research and Development Council.

29. Framing of and promotion of personnel policies and labour relations.

30. Financial assistance to academic institutions, research laboratories and other agencies or bodies for furtherance of studies and research leading to promotion of Defence Research and Development.

31. Coordination of Scientific and Technological research and development work in the country with the work of Defence Research and Development Organisation.

32. Liaison with Research and Development Organisation in foreign countries particularly on aspects related to the field of Defence.

33. Any other matter that may be entrusted to the Department by the Prime Minister.".

N. SANJIVA REDDY
PRESIDENT.

GBS
1000 Copies.

प्रलेख सं0 सी डी-319/80

राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली

दिनांक 7 मई, 1980
17 वैशाख, 1902

अधिसूचना

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ बयालीसवां संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961, (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) की प्रथम अनुसूची में, प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"4. रक्षा मंत्रालय :
(मंत्रालय के अंदर रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा पूर्ति विभाग तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग सहित)";

3. उक्त नियमों में, उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में -"रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, -

(i) "रक्षा उत्पादन विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 19 का लोप किया जाएगा, और मौजूदा प्रविष्टि 19क की संख्या बदल कर उसे प्रविष्टि 19 कहा जाएगा।";

(ii) "रक्षा पूर्ति विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 23 का लोप किया जाएगा, और मौजूदा प्रविष्टि 24 की संख्या बदल कर उसे प्रविष्टि 23 कहा जाएगा।";

(iii) "रक्षा पूर्ति विभाग" उप-शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग

जोशी

1000 प्रतियां

....2/-

24. रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं और अन्त:-सेवा संगठनों को फौजी कार्रवाई, उपस्कर और सैन्य तंत्र (लाजिस्टिक्स) से संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में सलाह देना ।

25. निम्नलिखित के बारे में अनुसंधान, डिज़ाइन और विकास संबंधी योजनाएं तैयार करना -

(क) युद्ध-सामग्री
(ख) विस्फोटक पदार्थ
(ग) इलेक्ट्रानिकी
(घ) इंजीनियरी
(ङ) राकेट और प्रक्षेपास्त्र
(च) वाहन
(छ) वैमानिकी
(ज) नौसेना समुद्रविज्ञान संबंधी मदें
(झ) अग्नि अनुसंधान
(ञ) तीनों सेनाओं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली अन्य मशीनरी और उपस्कर ।

26. संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं सहित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का प्रशासन ।

27. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियमावली, 1978 और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी०आर०डी०ओ०) से संबंधित अन्य सेवा नियमों का प्रशासन ।

28. रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद् ।

29. कार्मिक नीतियों और श्रम संबंधों का निर्माण और उन्नयन ।

30. अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए जिससे रक्षा अनुसंधान और विकास का उन्नयन हो, शैक्षिक संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा अन्य अभिकरणों या निकायों को वित्तीय सहायता देना ।

....3/-

जोशी

1000 प्रतियाँ

31. देश में हो रहे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्य का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कार्य के साथ समन्वय ।

32. विदेशों में, अनुसंधान और विकास संगठनों के साथ सम्पर्क, विशेषकर रक्षा के क्षेत्र से संबंधित पहलुओं के बारे में ।

33. कोई अन्य विषय जो प्रधान मंत्री द्वारा समय-समय पर अनुदिष्ट किया जाए ।" ।

नीलम संजीव रेड्डी

राष्ट्रपति

जोशी

1000 प्रतियाँ